Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : RAJGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 16-11-2015 3:44 PM

Fee Receipt No	: 201502293003442	Receipt Date	: 16/11/2015
Name	: MAANGE LAL,	Document S. No.	: 201501293006583
Address	: NA ,WARD NO 6 ,RAJGARH ,CHURU		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 547630	Evaluated Value	: ₹ 182543

Ord-Registration Fee	:	₹ 5480	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 2740	Stamp Duty	:	₹ 27390
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 35910**
			Total Amount	:	**₹ 35910**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
E-Gras Challan 0003397245 ₹ 30910 # Stamp N.A. ₹ 5000

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

उप पंजीयक
SUB-REGISTRAR
राजगढ़ (चूरू)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

2015

कोषाधिकारी, राजगढ़

B 967129

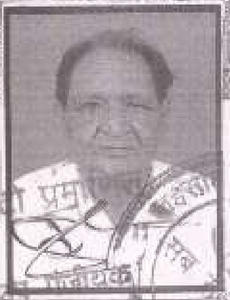

(1)

बैनामा "श्री" मालियत रुपये ⇒ 1,[illegible],000=00

स्टांप राशि ⇒ [illegible],000 =00

— अधिकतम शब्द संख्या ⇒ 1000

— आर्टिकल 23 राज·स्टांप एक्ट —

मनके मांगेलाल आयु 70 साल पुत्र श्री पूर्णमल जाति नाई साकिन राजगढ़ वार्ड नम्बर 06 तहसील राजगढ़ जिला चूरू का हूँ।

– जिसे आगे विक्रेता मुकीर कहा गया हैं एवं जो इस बैनामा का प्रथम पक्षकार हैं।

— — *एवं* — —

सी0 आर0 मेमोरियल शिक्षण संस्थान राजगढ़ (चूरू) जरिये सचिव श्री दलीप सिंह जांगिड़ आयु 50 साल पुत्र श्री मानसिंह जाति जांगिड़ साकिन राजगढ़ वार्ड नम्बर 30 तहसील राजगढ़ जिला चूरू का हैं।

– जिसे आगे क्रेता कहा गया हैं एवं जो इस बैनामा का द्वितीय पक्षकार हैं, के मध्य निष्पादन किया गया हैं।

अंगूठा मांगीलाल

शामिल दस्तावेज़ के

उप पंजीयक

प्रमाणित छाया प्रति

उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

(2)

– जो कि वाके रोही मौजा ग्राम मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू की रोही में मांगेलाल, पन्नालाल, विजय कुमार पि0 पूर्णमल कौम नाई सा0 राजगढ़ खातेदार के नाम से कृषि भूमि खसरा नम्बर 480 रकबा 1.9800 हेक्टेयर बा0 चतुर्थ, रकम 1.98 रूपये की खातेदारी की वाके है। उक्त भूमि मे मुकिर प्रथम पक्ष मांगेलाल पुत्र पूर्णमल कौम नाई सा0 राजगढ़ 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार है। उक्त भूमि में सिंचाई का कोई साधन नहीं हैं। उक्त भूमि आबादी गांव व सड़क से 2–3 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। उक्त भूमि मे आवागमन ऊंटो व ऊंटगाड़ों का साधन हैं, इसके अलावा पैदल भी आना जाना होता हैं। उक्त भूमि मुकीर की खालिश खातेदारी की हैं, जिस पर मुकीर मालिक व काबिज हैं। चुंकि मुकीर को आवश्यक खर्चे के लिये रूपयों की आवश्यकता हैं इसलिये मुकीर अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 480 रकबा 1.9800 हेक्टेयर भूमि मे से अपनी 1/3 हिस्सा की 0.66 हेक्टेयर सम्पूर्ण भूमि वाके रोही मौजा ग्राम मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू को रूपये 1,50,000/– नकद में द्वितीय पक्ष *सी0 आर0 मेमोरियल शिक्षण संस्थान राजगढ़ (चूरू) जरिये सचिव श्री दलीप सिंह जांगिड़ आयु 50 साल पुत्र श्री मानसिंह जाति जांगिड़ साकिन राजगढ़ वार्ड नम्बर 30 तहसील राजगढ़ जिला चूरू* को विक्रय कर दी हैं और कुल कीमत क्रेता से प्राप्त कर ली हैं। मुकीर ने भूमि मुबैया पर से अपना कब्जा हटाकर मौका पर कब्जा क्रेता का करा दिया हैं। आज से क्रेता, मेरी तरह से भूमि मुबैया की मालिक हो गई हैं। इस बैय में मेरा अन्य कोई व्यक्ति सहीम व शरीक नहीं है। अगर कोई शख्स सहीम व शरीक पैदा होकर किसी प्रकार का उजर व दावा करे या कोई बारे किफालत भूमि मुबैया पर साबित हो और वोह रूपया क्रेता को अदा करना

प्रमाणित छाया प्रति
उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

(3)

पड़े तो क्रेता को अखत्यार हैं कि हस्ब राये खुद अदालत मजाज में नालिश करके दखल हासिल करे या जरे समन अपना या जो रूपया बगर्ज महफूजी जमीन देना पड़े बरूये नालिश नम्बरी असल कीमत व सुद व खर्चा मुझ मुकीर से वसूल कर लेवें, मेरे को कोई उजर नहीं होगा। मुकीर आराजी मुबैया का नामान्तरकरण क्रेता के नाम से दर्ज करा देगा और क्रेता को भी अपने नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवाने का अधिकार होगा। अब आज की तारीख से मेरा व मेरे वारिसान का भूमि मुबैया पर कोई दावा व हक बाकी नही रहा हैं। क्रेता को उक्त भूमि दिखनादी तरफ की विक्रय की गई है व कब्जा दिया गया है। दर्ज रहे कि इस बैनामा का खर्चा क्रेता ने अपने पास से खर्च किया हैं।

– अतः यह बैनामा बदुरूस्ती होश हवास से अपनी स्वेच्छा व स्वस्थ चेतन मन से लिखा दिया ताकि सनद रहें। दिनांक 16.11.2015 हस्ब कहने मुकीर के शिव शंकर डोरवाल प्रलेख लेखक के द्वारा कम्पयूटर से टाईप कराकर पढ़कर सुनाया व समझाया। इस दस्तावेज की छाया प्रति के भविष्य में अस्पष्ट व अपठनीय होनें पर पंजीयन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

शिव शंकर डोरवाल
क्रमांक 198
दिनांक 16.11.2015

प्रमाणित छाया प्रति
उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

साख :– मुकेश कुमार आयु 40 साल पुत्र श्री जयलाल जाति जाट पूनियां साकिन भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू

मुकेश कुमार

साख :– नरेश आयु 23 साल पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति जांगिड़ साकिन राजगढ़ वार्ड नं. 30 तहसील राजगढ़ जिला चूरू

प्रमाणित छाया प्रति

उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : RAJGARH

उप पंजीयक राजगढ़, जिला-चूरू

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 25-01-2019 1:22 PM

Fee Receipt No	: 201902293000352	Receipt Date	: 25/01/2019
Name	: JATNA DEVI,	Document S. No.	: 201901293000678
Address	: NA ,WARD NO 06 RAJGARH ,RAJGARH ,CHURU		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 450000	Evaluated Value	: ₹ 1192693

Ord-Registration Fee	: ₹ 11930	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 11928	Stamp Duty	: ₹ 59640
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: **₹ 83798**
		Total Amount	: **₹ 83798**

Mode of Payment (Mode Number Amount #)
e-[illegible] ₹ 23798 # Stamp N.A. ₹ 60000

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

उप पंजीयक
SUB-REGISTRAR
राजगढ़ (चूरू)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

राजस्थान RAJASTHAN

A 496541

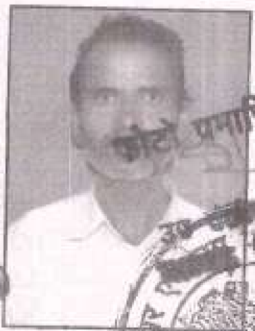

उपकोषाधिकारी, राजगढ़

तहसीलदार एवं उप पंजीयक
सत्यमेव जयते
राजगढ़, जिला–चूरू

बेनामा

मालियत रुपये 4,50,000/– रुपये

स्टाम्प 50,000/– रुपये

अधिकतम शब्द सख्या 1000

आर्टिकल 23 राज0 स्टाम्प एक्ट

मनके जतना देवी आयु 65 साल पत्नी पन्नालाल, मीरा आयु 47 साल पुत्री पन्नालाल, राजू उर्फ भूपसिंह आयु 45 साल पुत्र पन्नालाल व मांगेराम आयु

मीरा राजू अ.नि. मांगेराम

अ.नि. जतना

प्रमाणित छाया प्रति
उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

सचिव
सी०आर०मैमोरियल शिक्षण संस्थान
राजगढ़ (चूरू)

2

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

16 JAN 2017

उपकोषाधिकारी, राजगढ़

कुल योग 40000/- 582889
हस्ताक्षर स्टाम्प वेन्डर

तहसीलदार एवं उप पंजीयक राजगढ़, जिला-चूरू सत्यमेव जयते

72 साल पुत्र पूर्णमल जाति समस्त नाई निवासीगण कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू के है–

जिन्हे आगे विक्रेतागण मुकिरान कहा गया है एवं जो इस बैनामा के प्रथम पक्षकार है।

एवम्

सी.आर. मेमोरियल शिक्षण संस्थान राजगढ़ जिला चूरू जरिए सचिव दलिपसिंह जांगिड़ आयु 51 साल पुत्र मानसिंह जाति जांगिड़ निवासी वार्ड सं. 30 कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू का है–

अ. नि. मांगेराम

मीरा

राजु

अ. नि. जतना

प्रमाणित छाया प्रति

उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

सचिव
सी. आर. मेमोरियल शिक्षण संस्थान
राजगढ़ (चूरू)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000 बीस हज़ार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES Rs.20000

INDIA

582890

राजस्थान RAJASTHAN

16 JAN 2017

कोषाधिकारी, राजगढ़

कुल योग 4000/-

हस्ताक्षर स्टाम्प वेन्डर

तहसीलदार एवं उप पंजीयक राजगढ़

तहसीलदार एवं उप पंजीयक राजगढ़, जिला–चूरू

जिसे आगे केता कहा गया है एवं जो इस बैनामा का द्वितीय पक्षकार है – के मध्य यह दस्तावेज बैनामा निष्पादित किया गया है।

जो कि कृषि भूमि नया खाता सं. 331 ख0नं0 480 तादादी 1.98 हैक्टेयर किस्म बा. चतुर्थ वाके रोही मांगला पटवार हल्का लाखलाण भू अभि. नि. क्षेत्र गुलपुरा तह0 राजगढ जिला चूरू में स्थित है जिसमें मुकिरान प्रथम पक्षकार की जतना देवी पत्नी पन्नालाल 1/9 हिस्सा, मीरा पुत्री पन्नालाल 1/9 हिस्सा, राजू उर्फ भूपसिंह पुत्र पन्नालाल 1/9 हिस्सा तथा मांगेराम पुत्र पूर्णमल 1/3 हिस्सा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो अपने हक

मीरा

राजु

अ.नि. मांगेराम

अ.नि. जतना

प्रमाणित छाया प्रति

उप पंजीयक राजगढ़ (चूरू)

सचिव

राजगढ़ (चूरू)

हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि हर प्रकार के वाद विवाद, भार व रहना से पाक साफ है तथा उक्त कृषि भूमि पर कोई भी राजस्व वाद व सिविल वाद विचाराधीन नही है तथा ना ही उक्त कृषि भूमि पर किसी भी अदालत द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। उक्त भूमि मे एक ही फसल पैदा होती है, भूमि मजकूर की मिट्टी बालु है सिंचाई का कोई साधन नही है। उक्त कृषि भूमि आबादी गांव से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर तथा सड़क मार्ग से 1/2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उक्त उक्त कृषि भूमि राजस्थान भूमि (अन्तरण) अध्यादेश दिनांक 17.02.76 की धारा 3 व 4 से मुक्त है।

चूंकि मुकिरान प्रथम पक्षकारान को घर खर्च के लिये व आवश्यक दायित्व पूर्ति के लिये रूपयों की सख्त आवश्यकता है इसलिये मुकिरान प्रथम पक्षकार जतना देवी, मीरा, राजू उर्फ भूपसिंह व मांगेराम नें उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ख0नं0 480 तादादी 1.98 हैक्टेयर वाके रोही मांगला तह0 राजगढ़ जिला चूरू में स्थित अपने सम्पूर्ण हिस्सा को मय जमी हदूद व हकूक व चारो ओर की सीमा व वृक्षों सहित अपने खर्च की पूर्ति हेतु द्वितीय पक्षकार केता "सी.आर. मेमोरियल शिक्षण संस्थान राजगढ़ जिला चूरू जरिए सचिव दलिपसिंह जांगिड़ पुत्र मानसिंह जाति जांगिड़ निवासी वार्ड सं. 30 कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू" को हक हकूक दाखली व खारजी वहक मुराफिक के बिल एवज रूपये 4,50,000/- रूपये अखरे चार लाख पच्चास हजार रूपये नकद मुद्रा प्रचलन में बैय कतई व फरोख्त कामिल कर दी है। और उक्त प्रतिफल राशि विक्रेतागण नें केता से जरिए चैक सं. 000046 दिनांक 24.01.2019 राशि 2,50,000/- रूपये (दो लाख पच्चास हजार रूपये) व चैक सं. 000047 दिनांक 24.01.2019 राशि 2,00,000/- रूपये (दो लाख रूपये) खाता सं. 09560200000159 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़ जिला चूरू से वसूल पा लिये है। जरे सम्मन के बाबत केता के जिम्मे कुछ बाकी नही रहा है। प्रथम पक्षकारान नें विकय की गई कृषि भूमि से अपना कब्जा व दखल हटा कर मौका पर कब्जा केता का करवा दिया है। जिस कदर हकूक व अखतियारात

अ.नि. जतना मीरा राजु अ.नि. मांगेराम

सचिव
सी0आर0मैमोरियल शिक्षण संस्थान
राजगढ़ (चूरू)

प्रमाणित छाया प्रति
उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

बरूवे कब्जा व उपयोग उपभोग व खातेदारी के मुकिरान प्रथम पक्षकारान को भूमि पर हासिल थे वोह तमाम हकूक मुन्तकिल होकर केता को हासिल हो गये है और केता हम मुकिरान प्रथम पक्षकारान की तरह से आराजी मुबैया का मालिक हो गया है। आयन्दा केता को आराजी मुबैया को रहन एवं बैय करने का व इंतकाल दर्ज करवानें तथा इसका रूपान्तरण करानें, इसमें जल व विद्युत सम्बन्ध स्थापित करानें का पूर्ण हक हासिल हो गया है। इस बैय में मन मुकिरान का अन्य कोई व्यक्ति सहीम व शरीक नही है अगर कोई शख्स सहीम व शरीक पैदा होकर किसी प्रकार का उजर व दावा करेगा तो उसको मन मुकिरान मनायेगे, केता के जिम्मे कोई लाग नही होगी अगर किसी के उजर व दावा करनें पर आराजी मुबैया का जुज या कुल कब्जे केता से निकल जावेगा तो उस जुज या कुल कीमत मय खर्चा एवं सूद के केता को अदा करेगे कोई उजर नही करेगे। आज के बाद हम मुकिरान विक्रेतागण व हमारे जायज वारिसान का उक्त विकय की गई कृषि भूमि मुबैया पर कोई हक व दावा बाकी नही रहा है। दर्ज रहे कि इस बैनामा का खर्चा केता नें अपनें पास से खर्च किया है।

अतः यह बैनामा बदुरूस्ती होश हवास बिना किसी जब्बर व नशा पता के अपनी स्वैच्छा एवं समस्त चेतन मन से आज दिनांक 24.01.2019 को बमुकाम राजगढ़ में दीनदयाल स्वामी एडवोकेट के निर्देशन मे कम्प्युटर से टंकित करवाकर इसे सुन समझ कर सही होना मानते हुए इस पर अपनें हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी कर दिये है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

नोट :— इस दस्तावेज बैनामा की छाया प्रति के भविष्य में अस्पष्ट व अपठनीय होनें पर पंजीयन विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

हस्ताक्षर/अं०नि०प्रथम पक्ष   Indayal Swami Advocate JGARH (Churu)   हस्ताक्षर/अं०नि०द्वितीय पक्ष

अ.नि. ...   मीरा   राजु   अ.नि. ...

सचिव

शामिल दस्तावेज रहे

उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

प्रमाणित छाया प्रति
उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

तहसीलदार एवं उप पंजीयक
सत्यमेव जयते
राजगढ़, जिला-चूरू

तहसीलदार एवं उप पंजीयक सत्यमेव जयते राजगढ़, जिला–चूरू

साख :–

1. दिनेश कुमार आयु 38 साल पुत्र ओमप्रकाश जाति जांगिड निवासी वार्ड सं. 30 कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू ....

2. आनन्द सिंह आयु 30 पुत्र दलीपसिंह जाति जांगिड़ निवासी वार्ड सं. 30 कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू ....

शामिल दस्तावेज रहे
उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

प्रमाणित छाया प्रति
उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)